रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-07072022-237183 CG-DL-E-07072022-237183

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2975] No. 2975] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 7, 2022/आषाढ़ 16, 1944 NEW DELHI, THURSDAY, JULY 7, 2022/ASHADHA 16, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदश व्यापार महानिदेशालय)

अधिस्चना

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2022

सं. 20/2015-2020

विषयः आईटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची—I (आयात नीति) को वित्त अधिनियम, 2022 (2022 की सं. 6) दिनांक 30.03.2022 के समकालिक बनाना।

का.आ. 3125(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2015—2020 के पैरा 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 (समय—समय पर यथा संशोधित) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा आईटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची—I (आयात नीति) को वित्त अधिनियम, 2022 दिनांक 30 मार्च, 2022 के समकालिक बनाने हेतु संशोधित करती है।

- 2. वित्त अधिनियम, 2022 के अनुसार शामिल किए गए / हटाए गए / संशोधित किए गए / विभाजित किए गए / विलय किए गए आईटीसी (एचएस) कोडों की सूची इसके साथ (अनुलग्नक I) संलग्न है।
- 3. वित्त अधिनियम, 2022 के अनुसार आईटीसी (एचएस) कोड की खंड टिप्पणियों, अध्याय वार मुख्य टिप्पणियों, पूरक टिप्पणियों, अध्याय शीर्षक, उपशीर्षक और विवरण में परिवर्तन / संशोधन इसके साथ (अनुलग्नक II) संलग्न है।
 - 4. अद्यतित आईटीसी (एचएस) 2022 डीजीएफटी की वेबसाईट (https://dgft.gov.in) पर उपलब्ध होगा।

इस अधिसूचना का प्रभावः आईटीसी (एचएस) 2022 अनुसूची—I आयात नीति को वित्त अधिनियम 2022 के समकालिक बनाने हेत् संशोधित किया गया है। यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

4601 GI/2022 (1)

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/89/180/27/एएम-21/पीसी-2(ए)/भाग-I/ई-31913] संतोष कुमार सांरगी, महानिदेशक विदेश व्यापार और पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th July, 2022

No. 20/2015-2020

Subject: Syncing of ITC (HS), 2022- Schedule-1 (Import Policy) with the Finance Act, 2022 (No. 6 of 2022) dated 30.03.2022

- **S.O.** 3125(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 read with Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (as amended from time to time) read with paragraph 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, the Central Government hereby amends 'ITC(HS) 2022, Schedule-I (Import Policy)' in sync with the Finance Act, 2022 dated 30th March, 2022.
- 2. The List of ITC(HS) codes introduced/deleted/amended/split/merged as per the Finance Act, 2022 is annexed herewith (Annexure-I).
- 3. The modifications/amendments in the Section Notes, Chapter-wise Main Notes, Supplementary Notes, Chapter heading, sub-headings and description of ITC(HS) codes as per the Finance Act, 2022 are annexed herewith (Annexure-II).
 - 4. The updated ITC(HS) 2022 shall be available on the website of DGFT (https://dgft.gov.in).

Effect of this Notification: ITC(HS) 2022 Schedule-1 Import Policy is amended in sync with the Finance Act, 2022. This shall come into force with immediate effect.

This issues with the approval of Minister of Commerce & Industry.

[F. No. 01/89/180/27/AM-21/PC-2[A]/Part-I/E-31913]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade

& Ex-officio Addl. Secy.